



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या – 35/2026

सिया सिंह उर्फ पृथ्वी द्वारा उसकी माँ कोमल सिंह

...याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव गृह लखनऊ एवं 3 अन्य

... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दिलीप मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप मिश्रा, राज्य हेतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मयंक सिन्हा और विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव पांडेय को सुना।
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अनुरोध करते हुए यह याचिका लगभग तीन वर्ष की आयु की बच्ची सिया सिंह द्वारा उसकी माँ कोमल सिंह के माध्यम से यह कहते हुए दायर की गई है कि बच्ची उसके पिता – विपक्षी संख्या 4 के अवैध कब्जे में है।
3. रिट याचिका में प्रस्तुत अभिवचनों के अनुसार, बच्ची के माता-पिता का विवाह दिनांक 26.02.2020 को हुआ था। उनके वैवाहिक गठबंधन से दिनांक 24.09.2021 को बच्ची सिया सिंह का जन्म हुआ। दिनांक 24.10.2021 को, बच्ची की माँ को उसके ससुराल से निकाल दिया गया था और तब से उसे अपनी बेटी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है।
4. रिट याचिका में यह भी कहा गया है कि पति – विपक्षी संख्या 4 ने परिवार न्यायालय, सुल्तानपुर के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत एक नियमित वाद संख्या 1394 वर्ष 2025 दायर किया है।
5. विपक्षी संख्या 4 द्वारा बच्ची को प्रस्तुत किया गया है और बच्ची अपने पिता के साथ अत्यधिक सहज दिखाई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

देती है और स्पष्ट रूप से, वह पिछले चार वर्षों से अधिक समय से अपने पिता के साथ रह रही है, जबकि वह मात्र एक माह की थी।

6. तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी: (2019) 7 एससीसी 42 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर विभिन्न पूर्वनिर्णयों पर विचार किया और यह धारित किया कि: -

"19. बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही अभिरक्षा की वैधता को न्यायोचित ठहराने या उसकी वैधता का परीक्षण करने के लिए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे की अभिरक्षा को न्यायालय के विवेक पर संबोधित किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है जो एक असाधारण उपचार है और रिट वहां जारी की जाती है जहां विशेष मामले की परिस्थितियों में, विधि द्वारा प्रदत्त सामान्य उपचार या तो उपलब्ध नहीं होता है या अप्रभावी होता है; अन्यथा रिट जारी नहीं की जाएगी। बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में, रिट प्रदान करने में उच्च न्यायालय की शक्ति मात्र उन मामलों में पात्र है जहां किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अवयस्क को अभिरक्षा में लिया गया हो जो उसकी विधिक अभिरक्षा का अधिकारी नहीं है। हमारे विचार में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रश्रुत बिंदु पर घोषित निर्णय के आलोक में बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पोषणीय है जहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा अवयस्क बच्चे को अभिरक्षा में रखना अवैध और विधि के किसी भी प्राधिकार से विहीन था।"

"20. बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में, सामान्य उपचार मात्र हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक और प्रतिपालक अधिनियम (गार्डियंस एंड वाडर्स एक्ट), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत निहित है। संरक्षक और प्रतिपालक अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों में, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस तथ्य से निर्धारित होता है कि अवयस्क सामान्य रूप से उस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करता है जिस पर न्यायालय ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। संरक्षक और प्रतिपालक अधिनियम के अंतर्गत जांच और रिट न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं जो प्रकृति में संक्षिप्त हैं। बच्चे का कल्याण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रिट न्यायालय में, अधिकारों का निर्धारण मात्र शपथपत्रों के आधार पर किया जाता है। जहाँ न्यायालय का विचार यह है कि विस्तृत जाँच की आवश्यकता है, न्यायालय असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है और पक्षकारों को दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करने का निर्देश दे सकता है। मात्र असाधारण मामलों में ही, अवयस्क की अभिरक्षा के लिए, असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिका पर पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा।"

7. उपरोक्त दृष्टिकोण का निर्मला बनाम कुलवंत सिंह: (2024) 10 एससीसी 595 में पालन किया गया और इसे दोहराया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि: -

"27. ...जहाँ तक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता का संबंध है, कोई भी कठोर नियम प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। रिट न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

8. निर्मला बनाम कुलवंत सिंह (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया कि: -

"29. अतः यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्वयं प्रतिवादी पिता के मामले के अनुसार, वाद के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, बच्चे के लिए विशेष रूप से दादा-दादी से युक्त एक पारिवारिक वातावरण की आवश्यकता थी और उसने अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा उसकी देखभाल के लिए अपीलकर्ता दादी को प्रदान की हुयी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह ऐसा मामला नहीं है कि अपीलकर्ता दादी ने अवैध रूप से नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा ले रखी थी। प्रतिवादी पिता ने ही नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा अपीलकर्ता दादी को प्रदान कर रखी थी।"

"30. हमारा सुविचारित मत है कि वाद के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। चूंकि इसमें नाबालिग बच्चे के कल्याण और उसकी रुचि सहित एक विस्तृत जांच सम्मिलित होती, इसलिए यह प्रक्रिया मात्र संरक्षक और प्रतिपालक अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कार्यवाही में किया जा सकता था।"

"31. किसी भी स्थिति में, हमारा यह विचार है कि 7 वर्ष की कोमल आयु के एक नाबालिग बच्चे को अपने दादा-दादी की अभिरक्षा से हटने के लिए बाध्य करना, जिनके साथ वह पिछले लगभग 5 वर्षों से रह रहा है, मनोवैज्ञानिक अशांति का कारण बन सकता है।"

9. बच्चों की अभिरक्षा एक जटिल प्रश्न है जिसे बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णीत किया जाना है। एक चार वर्ष की बच्ची की अभिरक्षा, जो अपने जन्म के समय से ही लगातार अपने पिता के साथ रह रही है, बच्चे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के कल्याण से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बिना नहीं बदली जा सकती। बच्चे के कल्याण का निर्णय पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद ही लिया जा सकता है।

10. तदनुसार, याचिकाकर्ता को समुचित न्यायालय के समक्ष बच्चों की अभिरक्षा का दावा करने के लिए नियमित वाद दायर करने का विकल्प प्रदान करते हुए रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

30 मार्च, 2026

—अमित के—